

सं०: एस-11011/2/2015-एसबीएम  
भारत सरकार  
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय  
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रभाग

\*\*\*\*\*

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,  
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,  
नई दिल्ली, 110003  
दिनांक- 15.02.2016

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,  
प्रभारी ग्रामीण स्वच्छता,  
सभी पूर्वोत्तर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं जम्मू एवं कश्मीर।

विषय: स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के संबंध में पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10  
वित्त पोषण ढांचे को जारी रखने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

संशोधित वित्त पोषण ढांचे के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 10/11/2015 के  
ससंख्यक पत्र के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि 8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा 3 हिमालयी  
राज्यों-जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में वित्त पोषण ढांचा स्वच्छ  
भारत मिशन (ग्रामीण) के सभी घटकों के लिए 90:10 के आधार पर होगा।

भवदीय,

(सुनील कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति:

1. राज्य समन्वयक, एसबीएम(जी), सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

प्रति प्रेषित:

निदेशक(एनआईसी) मंत्रालय की वैबसाइट पर डालने हेतु।